*नई पीढ़ी के शहरी सहकारी बैंक - कुछ चिन्तन**

आर. गांधी

प्रिय श्री ज्योतिन्द्र मेहता, अध्यक्ष, गुजरात शहरी सहकारी बैंक परिषद, श्री बी.एस. दास, निदेशक, बैंकिंग अनुसंधान, विकास एवं उत्कृष्टता केंद्र, अन्य गणमान्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों। शहरी सहकारी बैंकों के इस सम्मेलन, जिसका बहुत ही सटीकता से 'सहकार-सेतु-2014' नामकरण किया गया है, को संबोधित करते हुए मै विशिष्ट रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इसकी विषय-वस्तु 'नई पीढ़ी के सहकारी बैंक' निर्धारित की गई है। मुझे यह जानकर भी खुशी हो रही है कि शहरी बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के लिए संगत अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के केंद्र के रूप में बैंकिंग अनुसंधान, विकास एवं उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है।

2. गुजरात में आप सभी लोगों से बात करना भी काफी महत्वपूर्ण है, केवल इसलिए नहीं कि यहां सहकारी बैंकों का प्रादुर्भाव और प्रसार हुआ, बल्कि इसलिए भी कि ये मोहन दास कर्मचंद गांधी, राष्ट्रपिता की जन्म स्थली है, जिन्होंने विश्वस्तव्यवस्था (न्यास) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधीजी के शब्दों में कहें तो, 'मान लीजिए कि मेरे पास ठीक-ठाक धन-दौलत है- चाहें वह पूर्वजों से प्राप्त हो अथवा व्यापार और उद्यम द्वारा अर्जित की गई हो- मुझे भली प्रकार यह मालूम होना चाहिए कि वह समस्त धन-दौलत मेरी नहीं है; मेरा उतने पर ही अधिकार है, जितने की मुझे एक सम्माननीय जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, जो उन अन्य लाखों लोगों द्वारा जिए जाने वाले जीवन से कहीं अधिक बेहतर न हो। मेरी शेष धन-दौलत समाज की सम्पत्ति है और उसे समाज के कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए।'

3. यदि आप देखें, तो पाएंगे कि सहकारिता भी सामाजिक सौहार्द- आपसी सहायता, लोकतांत्रिक निर्णयन और खुली सदस्यता- के इसी सिद्धांत पर आधारित है। स्वामित्व प्रतिष्ठान, भागीदारी कंपनियां और मिश्रित पूंजी कंपनियां; जो किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के प्रभावशाली रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं; की तुलना में सहकारी संस्था संगठन के प्रति एक नया और वैकल्पिक दृष्टिकोण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व भर में सहकारी संस्थाएं 1995 में अंतर-राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आइ्रसीए) द्वारा स्वीकृत सात मूल सिद्धांतों और मूल्यों पर कार्य करती हैं। सहकारिता के इन सिद्धांतों की जड़ें 1844 में रोशडाले, इंग्लैंड में स्थापित पहली आधुनिक सहकारी संस्था में खोजी जा सकती हैं। ये सिद्धांत सदस्यता से लेकर सामुदायिक चिंता तक से सबंधित सहकारिता के विविध पहलुओं को कवर करते हैं।

शहरी बैंक क्षेत्र का उद्भव

4. भारत में शहरी सहकारी बैंक यहीं गुजरात में आज से ठीक सवा शताब्दी पूर्व 1889[1] में प्रारंभ हुए थे और संसार भर में भारत में सबसे प्राचीन सहकारी बैंकिंग रही है। तथापि, क्षेत्र में वास्तविक संवृद्धि और फैलाव 1966 में हुआ जब इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत लाया गया। इसके बाद हुए विकास को मोटे तौर पर तीन कालों में बांटा जा सकता है। संवृद्धि काल, संकट काल और समेकन काल।

संवृद्धि काल (1966-2003)

5. 1966 में लगभग 100 शहरी सहकारी बैंक थे और उनके पास क्रमशः रु.1.67 बिलियन और रु.1.53 बिलियन की जमाराशियां और अग्रिम थे। चूंकि उनकी संख्या, आकार और परिचालनों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है अतः रिज़र्व बैंक ने इनके लिए मुख्यतः मराठे समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर लचीली लाइसेंस नीति अपनाई थी, जिसमें 'एक जिला-एक बैंक' के तरीके को समाप्त करने और इसके बजाय किसी क्षेत्र में नए शहरी सहकारी बैंक के लिए जमाराशियों को एकत्र करने और क्रेडिट देने की सीमा को ध्यान में रखते हुए 'आवश्यकता और क्षमता' पर आधारित नीति बनाने की सलाह दी गई थी। वर्ष 1993 में बैंक लाइसेंस नीति में लचीलापन लाने के पूर्व 1,311 शहरी सहकारी बैंक थे जिनके पास क्रमशः रु.111.08 बिलियन और रु.87.13 बिलियन की जमाराशियां और अग्रिम थे, जबकि मार्च 2004 के अंत में इनकी संख्या बढ़कर 1926 शहरी सहकारी बैंक हो गई और इनकी जमाराशियां और अग्रिम पास बढ़कर क्रमशः[2] रु.1,020.74 बिलियन और रु.649.74 बिलियन हो गए।

---

* 8 जून 2014 को श्री आर. गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में शहरी सहकारी बैंकों के सम्मेलन में दिया गया संबोधन। इस संबंध में श्रीसुशांत कुमार कार, महाप्रबंधक दिए गए सहयोग के लिए आभार।

[1] गुजरात में अन्योन्य सहकारी मंडली।

[2] अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए क्रमशः ₹15,785 बिलियन और ₹8,643 बिलियन

इसका मुख्य कारण यह था कि मई 1993 में लाइसेंस संबंधी मानदंडों में छूट देने के बाद जून 2001 तक 823 बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए गए।

संकट काल (2003-2008)

6. तथापि, यह देखा गया कि एक छोटी सी अवधि के दौरान ही नए लाइसेंस प्राप्त ये बैंक वित्तीय रूप से डांवांडोल हो गए। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए जून 2001 में एक जांच समिति गठित की ताकि वह लाइसेंसों के लिए दिए गए अभ्यावेदनों की जांच करे। समिति ने यह सिफारिश की कि सभी नए प्रस्तावित शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह अनिवार्य बना दिया जाए कि वे सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के कार्यकलाप से भली भांति परिचित हों और उनका ऐसा ट्रैक रिकार्ड हो जो दृष्टिगत होता हो और उसे सत्यापित किया जा सके।

7. तथापि, माधवपुर मर्केंटाइल सहकारी बैंक की घटना के पश्चात् शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के मौजूदा वित्तीय स्वास्थ्य और अनुभव को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004-05 के लिए घोषित वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषित किया गया कि रिज़र्व बैंक नए लाइसेंसों को जारी करने पर तभी विचार करेगा जबकि इस क्षेत्र के लिए एक विस्तृत नीति बन जाए जिसमें समुचित विधिक और विनियामकीय ढांचा भी शामिल हो, और उसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाए और उसके बाद नए शहरी सहकारी बैंकों को संगठित करने के लिए कोई भी नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए।

8. मार्च 2008 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या घट कर 1,770 रह गई जो कि मार्च 2004 के अंत में 1,926 थी। इसी अवधि के दौरान शहरी बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों दोनों में केवल मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो क्रमशः रु.1,020.74 बिलियन और रु.649.74 बिलियन से बढ़कर रु.1,398.71 और रु.904.44 बिलियन[3] हो गया। यह औसत रूप से जमाराशियों में 9 प्रतिशत की और अग्रिमों में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है[4]।

9. इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था। शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 2005 से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से विनियामकीय नीतियों के समन्वय में सुविधा हुई और टैफकब; जो कि क्षमता निर्माण के लिए उठाए गए कई प्रकार के विस्तृत उपाय और तकनीक को अपनाते हुए कार्यकुशलता लाने के लिए अपनाए गए तरीके थे; से उन पर कार्रवाई की जा सकी। इस दौर में स्वतः समेकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंक का समामेलन वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छे तरीके से प्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों में हो गया।

एकीकरण का दौर (2008 के पश्चात)

10. रिज़र्व बैंक की नई पहल और स्थायी प्रयासों के फलस्वरूप, यूसीबी क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिसे से कमजोर बैंको की संख्या घट गई है और मार्च 2008 को समाप्त तिमाही को कुल यूसीबी की संख्या 1770 से घटकर मार्च 2013 में 1606 हो गई है। तथापि, उसी अवधि में[5] शहरी बैंकों की जमा राशियाँ और उधार में रू.1398.71 बिलियन और रू.904.44 बिलियन से रू.2769.41 बिलियन और रू.1809.60 बिलियन तक क्रमशः वृद्धि हो गई है। अतः जमा राशियाँ और उधार में 20 प्रतिशत[6] की औसतन वार्षिक वृद्धि थी जो विकास के पहले चरण से दो गुना से ज्यादा थी। तथापि, आर्थिक दृष्टि से सशक्त[7] बैंकों की संख्या में भी 31 मार्च 2010 में 248 से वृद्धि हो कर 31 मार्च 2013 में 648 हो गई। प्रसंगवश, 2005 के पश्चात आजतक 116 यूसीबी का विलय हो चुका हैं।

11. इस पृष्ठभूमि में, स्थानीय समाज में बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से 2010 में नए ग्रामीण सहकारी बैंकों को लाईसेंस प्रदान करने के संबंध में अभ्यास करने के औचित्य से मालेगाम समिति नियुक्त की गई थी। व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने सिफ़ारिश की कि यूसीबी उपयुक्त भूमिका निभाती है और जहां बैंकिंग सेवाएँ नहीं हैं ऐसे जिलों में और जहां 5 लाख से कम आबादी है ऐसे केन्द्रों में यूसीबी की अधिक उपस्थिति की आवश्यकता

[3] 2008 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जमाराशियाँ और अग्रिम क्रमशः ₹33,201 बिलियन और ₹24,770 बिलियन थे।

[4] अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों में हुयी औसत वार्षिक संवृद्धि क्रमशः 28 प्रतिशत और 47 प्रतिशत थी।

[5] 2013 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जमाराशियाँ और अग्रिम क्रमशः ₹74,295 बिलियन और ₹58,797 बिलियन थें।

[6] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये जमाराशियों और अग्रिमों में औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 25 प्रतिशत रही।

[7] मोटे तौर पर परिभाषित करने पर 10 प्रतिशत के सीआरएआर पर पिछले तीन वर्षों के लिए निवल लाभ सकल एनपीए <7 प्रतिशत और निवल एनपीए≤3 प्रतिशत।

हैं। जहां बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं या पर्याप्त नहीं है ऐसे राज्यों और जिलों में नए खिलाड़ियों को बैंक और शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं कि जिन जिलों और आबादी के केन्द्रों, जहां बैंकिंग सेवाएँ पहले से ही पर्याप्त रूप से उपलब्ध है उधर नए खिलाड़ियों को शाखाएं खोलने के लिए हतोत्साहित करना होगा। तथापि, समिति ने सिफ़ारिश की कि वर्तमान में जिन सहकारी पतपेढ़ियों का प्रबंधन अच्छा है और अनिवार्य वित्तीय मानदण्डों को पूरा करती है उन्हें लाईसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आरबीआई समिति की सिफ़ारिशों का अध्ययन कर रही हैं।

चर्चा के मुद्दें

12. अभी तक इस क्षेत्र के विकास के प्रचलन और हम ढ़ाचे से हमने देखा कि, माधवपुरा अतीत का हिस्सा हो गया है और हम जैविक और अजैविक वृद्धि को कायम रखते हुए आगे बढ़े हैं। सीआरएआर[8] के उच्च स्तर और कम एनपीए[9] के साथ प्रणाली कुछ हद तक स्थिर हो गई है जब की दृढ़ीकरण की प्रक्रिया अब भी चल रही है। पहला प्रश्न उठता है कि अब आगे क्या? हम कहां जा रहे है? क्या हमने हमारा लक्ष्य प्राप्त किया है जहां हमें प्राप्त किए हुए दृढ़ीकरण को बनाए रखना और मजबूत करना है या हमें और वृद्धि के लिए प्रयास करने होंगे। वास्तविकता यह है की यूसीबी बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है जो जमाराशि संकलन और छोटे संसाधनवाले लोगों के लिए ऋण जुटाने का कार्य करते हुए वित्तीय समावेशन में वृद्धि करता है और भुगतान सुविधा और निपटान का कार्य भी करता है, उनकी और वृद्धि और प्रसार होने के लिए केवल आधार देना उचित होगा।

13. यह हमें दूसरे प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर हम और वृद्धि होने देते हैं तो, किस आकार में वह होनी चाहिए? इसे फिरसे दो मार्गों से संबोधित किया जा सकता है, एक तो हम इन्हें वर्तमान ढ़ाचे में वृद्धिशील होने दे सकते है या यूसीबी निश्चित सीमा रेखा के ऊपर नई कारपोरेट पहचान प्राप्त करेगी।

14. इसके तात्पर्य स्वरूप बड़े आकार की यूसीबी जो आकार और कारोबार की जटिलता में निश्चित सीमा रेखा तक पहुंच चुकी है और वाणिज्यिक बैंक बनने के लिए योग्य बनी है उस पर विचार किया जा सकता है ताकि उनका और विकास सुसाध्य बनेगा। यहां इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि जब सहकारी बैंक निश्चित सीमा रेखा स्तर तक पहुंच जाती है तो उनसे भी बड़ी बैंकों की तरह पथ्य पालन और मानक वैश्विक कार्यप्रणालियों के पालन की अपेक्षा की जाएगी, जो सहकारी बैंकों के वर्तमान विधिक ढांचे में संभव नहीं होगा। अतः हमें आगे बढ़ने से पहले वर्तमान विधिक और विनियामक ढांचे पर पुनःविचार करने की आवश्यकता है ताकि उनका परिवर्तन निर्बाध होगा। खासकर, हमें सहकारी संस्थाओं का संयुक्त पूंजी कंपनियों में, जमाराशि धारण करनेवालों का शेयर धारकों में, आदि के परिवर्तन को सुविधा जनक बनाने वाले विधिक ढांचे पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

15. अन्य विकल्प यह हो सकता है कि वर्तमान ढांचे में ही यूसीबी को विकसित होने और बने रहने देना। ऐसी स्थिति में, स्पष्ट रूप से मन में प्रश्न आता है कि वर्तमान में ऐसे कौन से प्रतिबंध है जो शिथिल किए जा सकते है और इस क्षेत्र की बाधारहित वृद्धि और सुचारू रूप से परिचालन के लिए कौन से उपायों पर विचार किया जा सकता है? मैं आशा करता हूं कि प्रतिनिधि इन मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और संभाव्य उपायों पर सुझाव देंगे।

अगला चरण- अगली पीढ़ी के सहकारी बैंक

16. चूँकि संगोष्ठी का विषय 'अगली पीढ़ी के सहकारी बैंक' है अत: अब मैं संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करुँगा। प्रारंभ करने से पहले सहकारी बैंकिंग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में से कुछेक पर नज़र डालते है और आगे बढ़ने से पहले भारत में अगली पीढ़ी के सहकारी बैंकों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा और इन बैंकों से हमारी क्या अपेक्षाए हैं ।

यूरोपीय सहकारी व्यवसाय मॉडल

17. जैसा कि आप जानते होंगे, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर यूरोपीय बैंकिंग उद्योग की वृद्धि, स्थिरता एवं प्रतिद्वंद्विता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सामान्य नागरिक अपेक्षाकृत कम निवेश के साथ सहकारी बैंकों के सदस्य/ मालिक बन सकते हैं। परिणामस्वरूप, इस कारोबार में उनका सीधा अधिकार है तथा वे इसके शासन, रणनीति एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सीधे तौर पर शामिल हैं। सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य अपने सदस्यों के लिए मूल्य

[8] 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों में से 88.2 प्रतिशत ने 9 प्रतिशत और उससे अधिक सीआरएआर दर्ज किया है ।

[9] 31 मार्च 2013 को सकल और निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात क्रमश: 6.0 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत रहा।

निर्माण करना एवं मुख्यधारा की बैंकों के अधिकतम लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति के विपरीत एक दीर्घकालिक विश्वास का संबंध स्थापित करना है।

18. यह उल्लेख करने योग्य होगा कि खुदरा बैंकिंग, ठोस पूंजीकरण और उच्च दर्जे के ऋण संविभाग इन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने का फल उनका निष्पादन रहा है। वास्तव में, इटली, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जहां सहकारी बैंकों का ऋण में बाजार हिस्सा, लंबी अवधि में 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के बीच रहा हैं, एसएमई सहकारी बैंकों के कुल ग्राहक संविभाग का केवल 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान जरूरतें और अपेक्षाओं को उनका व्यवसाय माडल जवाब दे सकता है इस लिए संकट पश्चात वातावरण की चुनौतियों का सामना करने में वे सक्षम हैं।

19. और, यूरोप के एक छोर से दूसरे छोर तक, सहकारी बैंकों के पास न्यूनतम 8 प्रतिशत की विधिक पूंजी अनुपात से अधिक औसतन 9 प्रतिशत का अनुपात है। पश्चिम यूरोप में सबसे बड़े सहकारी बैंकिंग समूह के लिए ऋण दर्जा अच्छा दर्शाता है, जो एए से एएए के बीच आता है।

20. उनकी जड़ें यूरोप में होते हुए, राबोबैंक समूह, डीजेड बैंक समूह, क्रेडिट एग्रीकोल समूह आदि गत दशकों में वित्तीय सेवाएं देने वालों के रूप में विकसित हुए है जिनकी बैंकिंग, आस्ति प्रबंधन, लीज़िंग, बीमा और स्थावर सम्पदा जैसे क्षेत्रों में गतिविधियां रही है। विगत वर्षों के वित्तीय संकट के दौरान सहकारी ढ़ाचे के कई सशक्त मुद्दें प्रकट हुए है। उन्हें सरकार से मदद नहीं मांगनी पड़ी और वित्तीय निष्पादन अच्छे मानकों के अनुसार रखने में वे सक्षम रहें। टियर-I के अनुसार मापित, यह समूह विश्व की बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं है। सभी रेटिंग एजेंसियों ने उन्हें उच्च रेटिंग देना जारी रखा है।

21. उनकी सहकार की पहचान की कहीं बीसवी शती के पूर्व मौजूद है। स्थानीय सहकार के सदस्यों ने इन समूहों के सामूहिक स्वामित्व को आज भी जारी रखा है। यह समूह सदस्य सहकारी और समुद्रपार उपकंपनियाँ और सम्बद्ध कंपनियों कों सहायता देते है। सदस्यों को केवल बैंकिंग और गैर बैंकिंग से लाभ नहीं होता है उन्हें चर्चा में भाग लेना और बैंकों के कार्यवाही पर सह-निर्णयन के भी अवसर है। स्थानीय सदस्य बैंक लाखों खुदरा और थोक ग्राहकों को तरह-तरह की वित्तीय सेवाएं देती है। यह समूह आरंभ से लेकर विकसित होने तक और गिरवी से कारपोरेट उद्योगों तक लगभग सभी ग्राहक और उत्पाद प्रकारों में अग्रणी है।

22. मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सहकारी बैंकों को स्पर्धा और बड़े वाणिज्यिक बैंकों के दबाव से मुक़ाबला करने में और मूल्य निर्माण अधिकतम करते समय सशक्त पूंजीकरण के महत्व को खोखला किए बिना और उच्च दर्जे का ऋण संविभाग निर्माण करने में उनके यूरोप के प्रतिरूप के व्यवसाय ढांचे से लाभ मिल सकता है।

एशियाई सहकारी व्यवसाय मॉडल

23. अगर हम पूर्व की ओर देखेंगे, तो हमारे ध्यान में आता है कि एशिया पैसिफिक में सहकार की उपस्थिति विशेष रूप से बड़ी है। केवल एशिया पैसिफिक में 2012 में ऋण यूनियनों की संख्या 22,212 थी जो उत्तर अमरीका और यूरोप के कुल मिलाकर आकड़ें 10,051 से दो गुना थी। ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से, यह देखा गया है कि एशिया में मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक विकास लाने के उद्देश्य से सहकार लाया गया खासकर कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध में।

24. केवल एशिया में, अनुकरण करने योग्य कई उदाहरण हैं। फिलिपाईन्स के सहकारी विकास प्राधिकरण (सीडीए) ने जो अनुकरणीय पहल की वह यह थी कि सहकारी सूचना प्रणाली को प्रारम्भ करना।(सीडीए) ने अमरीका की अंतरराष्ट्रीय विकास संस्था और दूसरे तकनीकी साझीदार के सहयोग से सहकार के वेब-आधारित आंकड़ें विकसित किए जिसे सीडीए के किसी भी विस्तार काउंटर से तत्काल एक्सिस किया जा सकता था। हर एक सहकारी संस्था के संस्थागत और वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी सहकार के वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट के माध्यम से मिलती थी जो डाटाबेस से लनरेज़ थी, जिसके द्वारा सहकारी संस्थाओं को तत्परता से सूचना का आदान प्रदान करने का मंच उपलब्ध किया गया। इससे भी प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य यह था कि क्षेत्र के समग्र लाभ के लिए सरकार को निष्पादन मानक, नीतियां, विनियम और विकास कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद करना। संभवतः, ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तैयार करना हमारे सहकार क्षेत्र को भी विकासोन्मुख निष्पादन और समेकित विकास से संबन्धित सूचना का तत्परता से आदान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

सहकारी बैंकों में सहकारिता

25. सहकारी बैंकों को भी आपस में सहकारिता की आवश्यकता होती है ताकि उनके विकास को बल मिले और उनका संवर्ध्दन तथा विस्तार हो सके। जैसाकि आपको ज्ञात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाए जाने वाले इस सहकारी बैंकों जैसे छत्र संगठनों के अध्ययन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वी.एस.दास.समूह का गठन किया गया था । मोटे तौर पर इस संबंध में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं ।

26. यूरोपियन देशों में छत्र-संगठन आमतौर पर बहुत ही मज़बूत शीर्ष स्तर की संस्था होती हैं । सभी स्थानीय सहकारी बैंक सामान्यतया उस शीर्ष संस्था के सदस्य होते हैं । इसके प्रत्येक सदस्य 'एक सदस्य एक वोट' सिध्दांत के आधार पर अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं । शीर्ष संस्था, प्रत्येक सदस्य बैंक को विभिन्न क्षेत्रों जैसे - ग्राहक सेवा, एएलएम, आईटी, म्युचुअल फंड, उत्पाद विकास आदि के बारे में सहायता प्रदान करती है तथा सूचना देती है ।

27. आस्ट्रेलिया, अमरीका और कनाडा में छत्र संगठन किसी समूह का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन एक विशिष्ट संस्था होते हैं और क्रेडिट यूनियनें उसकी सदस्य होती हैं । अमरीका में छत्र संगठनों का भी 'छत्र संगठन' है । अमरीका में छत्र संगठन बड़े पैमाने पर निवेश, चलनिधि, और नकदी-प्रबंधन उत्पाद एवं सेवाएं जोखिम-प्रबंधन एवं विश्लेषण क्षमता, निपटान, निधि-अंतरण, और भुगतान सेवाएं, और तिजोरी रखना तथा अभिरक्षा सेवाएं प्रदान करती हैं। आस्ट्रेलिया में ज्यादा ज़ोर भुगतान समाशोधन सेवा और आयात चलनिधि सहायता संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं ।

28. ये संगठन अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इससे न केवल उनके सदस्यों की बुनियादी स्तर पर परिचालन क्षमता बढ़ी है बल्कि वित्तीय स्थिरता को कायम रखने में एवं जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। इससे विनियामकों को बड़ी राहत मिलती है । उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलिया में सभी क्रेडिट यूनियनें बासेल II मानदंड का पालन करती हैं और उनका औसत सीआरएआर 16 प्रतिशत है ।

29. इस संदर्भ में, मैं भारत में शहरी सहकारी बैंकों की छत्र संगठन की आवश्यकता पर बात करूंगा जो मेरे अगले संबोधन की शुरुआत होगी, अर्थात् भारत में अगली पीढ़ी के शहरी सहकारी बैंकों से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं ।

आगामी पीढ़ी के शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षाएं

भारत में शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र-संगठन

30. भारत में शहरी सहकारी बैंकों को भी उनके स्वयं के ऐसे छत्र-संगठन को लाभ मिलना चाहिए जो भारत के कानूनी ढांचे तथा उस क्षेत्र की चुनौतियों से पूरी तरह परिचित हो । भारत में केवल अनुसूचित शहरी सहकारी बैंको को पुनर्वित्त के रूप में चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक तक पहुंच हासिल है । अन्य शहरी सहकारी बैंक उनकी चलनिधि आवश्यकता के लिए जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों पर निर्भर होते हैं । कुछ जिला सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक स्वयं वित्तीय रूप से मजबूत नहीं हैं । उन्हें प्रबंधन, आईटी और प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने की जरूरत है जो शहरी सहकारी बैंक के क्षेत्र की आवश्यकता है ।

31. हमारे शहरी सहकारी बैंकों के क्षेत्र के लिए वी.एस.दास समूह ने कुछ सिफारिशें इस प्रकार की हैं - भुगतान और निपटान सेवाओं का प्रावधान; अन्य सेवाओं का प्रावधान जो मुख्यतया प्रबंधन के क्षेत्र की हैं अथवा आउटसोर्स की गई सेवाएं हैं, राज्यस्तरीय योजनाओं के माध्यम से चलनिधि सहायता का प्रावधान, और राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से ऋण-शोधन क्षमता (साल्वेंसी) संबंधी प्रावधान । समूह ने यह भी सिफारिश की है कि दो अलग-अलग छत्र संगठन होने चाहिए । पहला, राष्ट्रीय स्तर का छत्र संगठन जो अपने सदस्यों को भुगतान और निपटान सेवाएं तथा अन्य सेवाएं जैसे चलनिधि सहायता प्रदान करेगा। दूसरा, राज्य स्तरीय संगठन या बाहरी एजेंसी, जो प्रबंधन, आईटी और प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं प्रदान करेगा ।

32. इन प्रस्तावों की जांच रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी बैंक फेडरेशनों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके की जा रही है । इस संदर्भ में, मेरा यह मानना है कि बैंकिंग अनुसंधान, विकास एवं विशिष्टता केंद्र जिसकी स्थापना यहां प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण केंद्र के रूप में होने जा रही है वह शहरी सहकारी बैंकों के क्षेत्र में की गई एक अच्छी पहल है ।

प्रौद्योगिकी - समर्थित शहरी सहकारी बैंक

33. यह खुशी की बात है कि इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी का सहारा लेने पर चर्चा की जाएगी । आज के इस प्रौद्योगिकी द्वारा चालित

युग में प्रतिस्पर्धी बैंकिंग सेवाएं देने में कोई भी प्रौद्योगिकी की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता और सभी शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे समयबध्द रूप से प्रौद्योगिकी को अपनाने की अभिरूचि प्रदर्शित करें । इस समय, केवल 32 प्रतिशत (मार्च 2014 के अनुसार 1589 में से 510) शहरी सहकारी बैंकों ने कोर बैंकिंग साल्यूशन को अपनाया है । प्रौद्योगिकी को अपनाने में विलंब से शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहक छोड़कर कमर्शियल बैंक में चले गए हैं । उनमें धोखाधड़ी होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वे ऐसे एप्लिकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पुराने हैं या उनमें सुरक्षा विशेषताएं आदि नहीं हैं । साथ ही मैनुअल बुक-कीपिंग प्रणाली से खातों के समाधान का काम बकाया चल रहा है जिससे उनमें धोखाधड़ी होने की संभावना है।

34. भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे क्रमिक रूप से सीबीएस को अंगीकार करें : बड़े शहरी सहकारी बैंक 31 दिसंबर, 2013 तक, टियर-I बैंक 30 जून, 2014 तक और यूनिट बैंक 31 दिसंबर, 2014 तक । रिज़र्व बैंक को यह उम्मीद है कि और अधिक शहरी सहकारी बैंक प्रौद्योगिकी समर्थित होंगे और ग्राहकों को लेकर कमर्शियल बैंकों से स्पर्धा करेंगे ।

शहरी सहकारी बैंकों का सहकारी किरदार

35. सहकारी बैंकों में परस्पर सहकारिता के अलावा अब अगला विचार करने वाला मुद्दा यह है कि सहकारी बैंक के भीतर सहकारिता होनी चाहिए। हमने पिछले कई वर्षों में यह देखा है कि अनेक शहरी सहकारी बैंकों ने अपने सहकारी होने का चरित्र खो दिया और वे घटकर एक परिवार द्वारा चलाई जाने वाली संस्था के आकार के हो गए । सहकारी सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि उधारकर्ता सामान्य सदस्यों का अनुपात नियमित सदस्यों के 20 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए । कुछ बड़े बहु-प्रदेशीय शहरी सहकारी बैंकों ने क्षेत्र-विशेष में रियायत लेते हुए अपने कारोबार मॉडल एवं लक्ष्यों को कमर्शियल बैंकों के अनुरूप बना लिया है ।

36. इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों की सहकारिता के संबंध में एक अध्ययन किया गया है । अध्ययन में यह पाया गया है कि सहकारी कारोबारी माडल विश्व के अनेक देशों में समय की कसौटी पर खरा उतरा है और हाल के वित्तीय संकट के दौर में अबाध तरीके से कार्य करता रहा है जबकि कमर्शियल संस्थाओं को टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा । उनमें जो सबसे खास बात थी वह थी उनमें सहकारिता का किरदार, जो भारतीय शहरी सहकारी बैंकों में काफी हद तक खत्म होता नज़र आ रहा है । अध्ययन के मूल्यांकन से यह साबित होता है कि भारत में सहकारी बैंकों की सहकारिता समाप्त होती जा रही है ।

37. इसलिए, रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्ष सितंबर में इस महत्वपूर्ण विषय पर सहकारी बैंकों को संवेदनशील बनाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था । भारत में शहरी सहकारी बैंकों की सहकारिता को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हो सकते हैं - इसके लोकतांत्रिक चरित्र को मज़बूत बनाने के लिए उसके सदस्यों में जागरूकता को बढ़ावा देना, सदस्यों को शिक्षण प्रदान करने पर ज़ोर देना तथा सदस्यों में सहकारी सिध्दांतों के प्रति अभिरूचि को उजागर करना । इसकी वार्षिक साधारण सभा के कोरम की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, दूर-दराज से इलेक्ट्रॉनिक एवं सुरक्षित वेटिंग सुविधा का प्रावधान करना तथा शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के कार्यकाल/कार्यविधि की सीमा निर्धारित करना ।

पूंजी मानकों को मज़बूत बनाना

38. आज के वैश्वीकृत संसार में हमारी संस्थाओं को विश्व की विनियामक प्रथाओं से बचा पाना मुश्किल है ।

39. भारत में शहरी सहकारी बैंक केवल अपने सदस्यों से पूंजी जुटा सकते हैं । इस सीमा को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने उधार के मामले में शेयर-लिंकिंग का निर्धारण किया है । इस मामले और अधिक जांच रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्यदल द्वारा की गई थी और उनकी सिफारिशों के आधार पर 2008 में शहरी सहकारी बैंकों को नवोन्मेषी लिखतों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति दे दी गई थी जैसे सतत गैर-संचयी/संचयी और दीर्घकालीन जमा (गौण) के रूप में शोध्य वरीयता शेयरों जैसे लिखतों के माध्यम से पूंजी जुटा सकते हैं । रिज़र्व बैंक ने कम पूंजी वाले शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए कई बार दिशानिर्देश जारी किए हैं जैसे - जमाराशियों को इक्विटी में बदलना, डीआईसीजीसी की सहायता के साथ-साथ विलय संबंधी दिशानिर्देश, डीआईसीजीसी की सहायता सहित कमजोर शहरी सहकारी बैंकों की परिसंपत्तियों और देयताओं को कमर्शियल बैंकों को अंतरित करने से संबंधित दिशानिर्देश, आदि।

40. रिज़र्व बैंक ने विभिन्न प्रकार की विनियमित संस्थाओं के प्रणालीगत महत्व एवं उनकी कौशल-स्थिति को ध्यान में रखकर बासेल मानकों को नपे-तुले अंदाज में धीरे-धीरे लागू करने का दृष्टिकोण अपनाया है । अभी तक पूंजी की गणना के लिए शहरी

सहकारी बैंकों पर बासेल-I के अपेक्षाएं लागू की गई हैं । बड़े शहरी सहकारी बैंकों पर, जो विदेशी मुद्रा में लेनदेन करते हैं, बाज़ार जोखिम प्रबंधन की कुछ बातें लागू की गई हैं ।

41. लेकिन, इस संदर्भ में यहां यह उल्लेख करना सही होगा कि अनेक विकसित देशों में शहरी सहकारी बैंकों पर उनके जोखिम प्रबंधन ढांचे को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय बासेल-II मानदंड लागू किए गए हैं । हालांकि भारत के शहरी सहकारी बैंकों का आकार भिन्न है और स्वरूप जटिल है फिर भी रिज़र्व बैंक इस बात पर विचार कर रहा है कि अगली पीढ़ी के बैंक विवेकपूर्ण विनियमन की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए स्वयं को तैयार रखें ।

वित्तीय समावेशन में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका

42. हमारी चर्चा का अगला विषय यह हो सकता है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और जनसाधारण की बैंकों से क्या अपेक्षाएं हैं । मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में इस विषय पर भी चर्चा रखी गई है । इस दृष्टि से देखें तो संगठनात्मक ढांचा, स्थानीय ग्राहक और आसानी से पहुंच बना पाना शहरी सहकारी बैंकों की शक्ति है । रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कई उपाय सुझाए हैं जैसे - शून्य अथवा न्यूनतम राशि का छोटा खाता खोलना, छोटे खातों के लिए केवाइसी अपेक्षा में छूट, नई शाखाएं खोलने के लिए मानदंडों को उदार बनाना, आफ-साइट एटीएम खोलने तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी)एवं व्यवसाय सहायक (बीएफ) मॉडल आदि का इस्तेमाल करने की अनुमति देना ।

43. शहरी सहकारी बैंक, काफी हद तक वित्तीय समावेशन के दायरे में पहले से ही हैं क्योंकि उनके ग्राहक मुख्य रूप से प्राथमिकता क्षेत्र से होते हैं जैसे - छोटे कारोबार, लघु उद्योग, खुदरा व्यापारी, स्वरोजगार व्यक्ति आदि, जिनकी पहुंच कमर्शियल बैंकों तक आसानी से नहीं है। लेकिन, अभी भी छोटे शहरी सहकारी बैंकों[10] की बड़ी संख्या को देखते हुए उनमें छुपी संभाव्यता का उपयोग करने की जरूरत है । शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए वे स्वयं अपनी सहूलतों से पूंजी बनाएं और कारोबारी अवसरों का फायदा उठाएं । अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बैंक-रहित एवं कम बैंक वाले जिले हैं जिनमें किसान, प्रवासी मज़दूर, छोटे कारोबारी और खुदरा कार्य करने वाले लोग आदि रहते हैं । ये लोग औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से जुड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं । शहरी सहकारी बैंक इन लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए पहल कर सकते हैं ।

44. शहरी सहकारी बैंकों को इस संबंध में अपने कारोबारी माडल को दुबारा बनाना पड़ेगा और अपनी वित्तीय समावेशन योजना को उनकी वार्षिक कारोबार योजना के साथ जोड़ें । शहरी सहकारी बैंक अपनी सेवाओं के बारे में व्यापक प्रचार करें ताकि वे एक बड़ी आबादी से जुड़ सकें । यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत मुनासिब हो और इसके लिए प्रौद्योगिकी अहम भूमिका अदा कर सकती है ।

कंपनी अभिशासन और प्रबंधतंत्र का ढांचा

45. अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं अगली पीढ़ी के शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक आखिरी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहूँगा और वह है, कंपनी अभिशासन। कंपनी अभिशासन की संकल्पना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सहकारिता-सिध्दांत से अधिक अलग नहीं हैं । अंतरराष्ट्रीय सहकारी संधि में सहकारिता का जो एक सीधा सा सिध्दांत स्वीकार किया गया है वह है 'सदस्य आर्थिक सहभागिता' अर्थात् समान रूप से योगदान करना, और सहकारी पूंजी को सदस्यें द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करना ।

46. शहरी सहकारी बैंकों की बहुत सी समस्याएं अभिशासन मुद्दों को लेकर और पेशेवराना प्रणाली के अभाव के कारण है ।

47. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी इस बात का निर्धारण किया है कि बोर्ड में कम से कम दो निदेशक ऐसे हों जिन्हें बैंकिंग का अनुभव हो अथवा विधि लेखांकन या वित्त के क्षेत्र में संबंधित पेशेवराना अर्हता हो। मालेगाम समिति ने तो यह सिफारिश भी की है कि नया शहरी सहकारी बैंक खोलने के लिए लाइसेंस देने की यह पूर्व शर्त होनी चाहिए कि निदेशक मंडल तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बीच एक पेशेवर प्रबंधन मंडल ढांचे का सृजन किया जाना चाहिए । जो भी हो, अभी भी ऐसी बहुत सी अभिशासन संबंधी खामियां हैं जिन्हें भावी शहरी सहकारी बैंकों के लिए दूर की जानी है। इस बात पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सहकारी संस्थाओं में अभिशासन ढांचे में पेशेवराना स्तर बढ़ाए जाने की जरूरत है । हमें आशा है कि अगली

[10] आज की तारीख तक कुल 1589 बैंकों में से 1167 बैंक टियर-I के बैंक थे अर्थात जिनकी जमाराशियां 100 करोड़ रुपयों से कम हैं ।

पीढ़ी के सहकारी बैंकों के प्रबंधन में अत्यधिक कुशल और पेशेवर ढांचा मौजूद होगा।

48. अभिशासन से जुड़ा एक और मुद्दा यह है कि आज हमारे सहकारी बैंकों का अजीब रवैया है कि उनके यहां अभिशासन में उधारकर्ताओं का काफी दखल होता है, जब कि जमाकर्ताओं का हित बहुत कम होता है जिसे उपयुक्त रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है ।

समापन

49. मुझे उम्मीद है कि इस दो दिन के सम्मेलन में इस थीम और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल चर्चा के रूप में पैनल से जुड़े विशिष्ट विद्वानगण द्वारा इन समस्त मुद्दों का समाधान प्रस्तुत किया जाएगा । मैं, सम्मेलन के आयोजकों को अनके इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूँ और सम्मेलन के सफल आयोजन की कामना करता हूँ ।

50. मैं, आप सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

स्रोत:

i. वार्षिक रिपोर्ट (2012-13) - यूरोपियन असोसीएशन ऑफ को-ऑपरेटिव बैंक

ii. कोस्मा, एस. - सहकारी बैंकिंग पर बासेल II का प्रभाव

iii. चक्रबर्ती, के.सी. (2011), 'वित्तीय समावेशन - एक रास्ता जिसपर भारत को यात्रा करनी है, 22 अक्तूबर 2011 को www.livmint.com में प्रकाशित लेख

iv. नई यूसीबी को लाइसेंस देने के लिए मालेगाम समिति की रिपोर्ट

v. सिन्हा, आनंद (2012) - सहकारिता पर दृष्टिकोण : को-ऑपरेटिव पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया भाषण - कृषि विश्वविद्यालय, पुणे

vi. http://www.icba.org

vii. http://www.globalcommunities.org

viii. गाँधी, एम.के.-रवींद्र केलकर, नवजीवन मुद्राणालय, अहमदाबाद द्वारा संकलित न्यासिता?

ix. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रेडिट यूनियन की सांख्यकीय रिपोर्ट (2012) - http://www.woccu.org

x. मेलर, जॉन डब्ल्यू, (2009) - कम और मध्य आय वाले देशों में नई चुनौतियां और अवसर, को-ऑपरेटिव की सफलता को प्रदर्शित करने वाले सूचकों की माप (मेट्रिक्स), संयुक्त राज्य सीमापार सहकारी विकास परिषद, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त एजेंसी

xi. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट